

न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 16/2024
जीसीएमएस नं. : 2024/87

प्रार्थी :-

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी,
जिला रसद कार्यालय, बांसवाड़ा

बनाम

अप्रार्थी :-

श्री रितिक मईडा पिता अमर मईडा
प्रोपराईटर आर.के नमकीन, आंबापुरा बांसवाड़ा
(राजस्थान)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :- 11-12-2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 27.09.2024 को आर.के नमकीन, आंबापुरा बांसवाड़ा (राजस्थान) का निरीक्षण श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत, प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान आर.के नमकीन, आंबापुरा बांसवाड़ा (राजस्थान) पर फर्म के प्रोपराईटर श्री रितिक मईडा पिता अमर मईडा उपस्थित मिले। मौके पर 01 घरेलू सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेण्डर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	एच.पी गैस	855534 T	17.500	15.800	1.700

श्री रितिक मईडा पिता अमर मईडा द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर मईडा इण्डेन गैस सामरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री दीपा मईडा/ कान्तिलाल को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 28.11.2024 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। अप्रार्थी ने जवाब में मुख्य रूप से उल्लेख किया कि अपने प्रतिष्ठान में कार्य के दौरान गैस सिलेण्डर खत्म हो जाने के कारण अपने भाई दिनेश पिता अमरा मईडा के घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग कर लिया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर राजहित में श्रीमान् जो न्यायोचित आदेश करे वह मुझे मान्य व स्वीकार है।

आज दिनांक 11.12.2024 को अप्रार्थी अनुपस्थित है। अप्रार्थी को बार-बार, रुक-रुक कर सायं 4.00 बजे तक आवाज लगवाई गई किन्तु अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 27.09.2024 को आर.के नमकीन, आंबापुरा बांसवाड़ा (राजस्थान) का निरीक्षण श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत, प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान आर.के नमकीन, आंबापुरा बांसवाड़ा (राजस्थान) पर फर्म के प्रोपराईटर श्री रितिक मईडा पिता अमर मईडा उपस्थित मिले। मौके पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। श्री रितिक मईडा पिता अमर मईडा द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डर के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलु गैस



जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

सिलेण्डर जब्त किया जाकर मईडा इण्डेन गैस सामरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री दीपा मईडा/ कान्तिलाल को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार 01 घरेलु गैस सिलेण्डर आर.के नमकीन, आंबापुरा बांसवाडा (राजस्थान) व्यवसायिक संस्थान पर उपयोग हेतु भण्डार करना पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग हेतु भण्डारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 11-12-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. इंदुजीत सादव)
जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)